इस सम्बन्ध में हम निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख कर सकते हैं 1. चार स्वतन्त्रताओं की घोषणा (Declaration of Four Freedoms)–6 जनवरी, 1941 को

अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चार स्वतन्त्रताओं की घोषणा की- (1) भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, (2) अपने ढंग से अपने ईश्वर की पूजा करने की स्वतन्त्रता, (3) अभाव से मुक्ति तथा (4) भय से मुक्ति। इन्हीं ने भए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का आधार बनाया। 2. एटलांटिक चार्टर (Atlantic Charter) - 14 अगस्त, 1941 को चर्चिल व रूजवेल्ट ने इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया कि किसी प्रकार के प्रादेशिक अपहरण न हों, सम्बन्धित लोगों की मुक्त इच्छा की अभिव्यक्ति के बिना कोई प्रादेशिक परिवर्तन न हों, सभी राष्ट्रों को अपनी इच्छा का शासन चुनने का

अधिकार हो, आर्थिक क्षेत्र में सभी राष्ट्रों के बीच पूर्ण सहयोग हो इत्यादि। 3. संयुक्त राष्ट्र की घोषणा (Declaration of the United Nations) - 1 जनवरी, 1942 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चर्चिल, सोवियत प्रतिनिधि लिटविनोव व चीन के प्रतिनिधि सूंग ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

4. मास्को सम्मेलन (Moscow Conference) - अक्टूबर-नवम्बर 1943 में होने वाले इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस व चीन के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। उन्होंने यह संकल्प दोहराया कि वे विश्व में शान्ति व सुरक्षा बनाए रखने की खातिर अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। यह पहला अवसर था जब स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया कि यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र समय में केन्द्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जानी जरूरी है जो सभी शान्ति प्रिय राष्ट्रों की सार्वभौम समानता पर आधारित हो तथा ऐसे सभी बड़े व छोटे राज्यों को उसकी सदस्यता खुली हो। इसका विशेष महत्व इस तथ्य में भी निहित है कि अब सोवियत संघ ने भी विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना को स्पष्ट रूप में मान्यता दी।

5. तेहरान सम्मेलन (Tehran Conference) - कुछ अन्तराल के बाद रूजवेल्ट, चर्चिल व स्टालिन ने यहाँ नवम्बर 1943 में बैठक की जहाँ उन्होंने अपनी संयुक्त विज्ञप्ति में वचन दिया कि बड़े व छोटे राष्ट्र नए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में आने हेतु आमंत्रित किए जाएँगे।

6. डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन (Dumbarton Oaks Conference) - लेकिन इस दिशा में पहला कदम 7 अक्टूबर, 1944 को उठाया गया जब अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस व चीन के प्रतिनिधियों ने नए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के बारे में प्रस्तावों का प्रारूप तैयार किया। यहाँ यह तय किया गया कि नए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के पाँच अंग हों- महासभा जिसमें सभी सदस्य राज्य शामिल हों, सुरक्षा परिषद् जिसमें 11 सदस्य हों, एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय हो तथा एक स्थायी सचिवालय हो। यदि युद्ध को रोकना या किसी आक्रामक गतिविधि का दमन करना हो, तो सदस्य राज्य सुरक्षा परिषद् को अपनी सैनिक टुकड़ियाँ उपलब्ध करायें। यह योजना सभी मित्र देशों को विचार करने हेतु प्रेषित की गई।

7. याल्टा सम्मेलन (Yalta Conference) - फरवरी 1945 में याल्टा में रूजवेल्ट, चर्चिल तथा स्टालिन के बीच बातचीत हुई। यहाँ सुरक्षा परिषद् की कार्य प्रणाली तथा उसमें मतदान के बारे में निर्णय लिया गया। यहीं वीटो शक्ति के प्रावधान को स्वीकार किया गया जो महाशक्तियों की एकता का प्रतीक होगा। यह भी तय किया गया कि 25 अप्रैल, 1945 से सैन फ्रांसिस्को नगर में सामान्य सम्मेलन आयोजित होगा जो नए संघ का चार्टर पास करेगा।

8. सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन (San Francisco Conference) - अत: 25 अप्रैल से 26 जून तक यह सम्मेलन हुआ, इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपस्थित प्रतिनिधियों ने डम्बार्टन ओक्स के प्रस्तावों में अनेक संशोधन पेश किए। गहराई से विचार करने हेतु सम्मेलन ने चार आयोगों का गठन किया जिनकी सहायता के लिए अनेक समितियाँ बनाई गईं। गम्भीर विचार-विमर्श के कारण प्रस्तावित प्रारूप को बहुत